

5

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग

“अधिसूचना”

संख्या-1/स्था0-5001/2007 985

पटना, दिनांक 10 जुलाई 2008

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा पदतल शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल श्रम संसाधन विभाग के नियोजन पक्ष में कर्तीय सारिख्यकी सहायकों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों के विनियमन हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :-

भाग -1

1. संक्षिप्त नाम, एवं प्रारम्भ -

- (1) यह नियमावली “ बिहार नियोजन कर्तीय सारिख्यकी सहायक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2008” कही जा सकेगी ।  
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएँ - इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो :-

- (क) “आयोग” से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग । ✓  
(ख) “सरकार” से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;  
(ग) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है बिहार-राज्यपाल;  
(घ) “संवर्ग” से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार के श्रम संसाधन विभाग के नियोजन पक्ष में कर्तीय सारिख्यकी सहायकों का संवर्ग,  
(ङ) “नियुक्ति प्राधिकार” से अभिप्रेत है निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना,  
(च) “संवर्ग नियंत्री प्राधिकार” से अभिप्रेत है श्रम संसाधन विभाग में निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण ।

3. संवर्ग का गठन :- (1) यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा ।

- (2) सरकार कर्तीय सारिख्यकी सहायक के पदों की संख्या निधारित कर सकेगी तथा इसमें अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद भी सृजित कर सकेगी, अथवा किसी पद को स्थगित या रिक्त रख सकेगी जिसके कारण इस संवर्ग का कोई भी सदस्य क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा ।

भाग-2

भर्ती

4. भर्ती का स्रोत-

- (क) इस नियमावली के भाग -3 के नियमों के अनुसार 75% रिक्तियाँ आयोग द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा, और

(4) (2)

- (ख) इस नियमावली के भाग-4 के नियमों के अनुसार 25 रिक्तियों आयोग द्वारा आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरी जायेगी ।
5. इस संवर्ग में भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नांकित होगी: - गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण ।
6. **रिक्तियों का निर्धारण** - सरकार प्रतिवर्ष 31 (इकतीस) मार्च की स्थिति के आधार पर इस संवर्ग में सीधी नियुक्ति एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु रिक्तियों को अलग-अलग निर्धारित करेगी :  
परन्तु किसी वर्ष में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति से भरी जानेवाली रिक्तियों कुल रिक्तियों के 25% (पच्चीस प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी ।

### **भाग-3** **सीधी भर्ती**

7. (क) **रिक्तियों की अधिसूचना** - सरकार प्रतिवर्ष निरिक्त प्रतियोगिता परीक्षाफल के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जानेवाली रिक्तियों की संख्या, आरक्षण कोटिवार, आयोग को सूचित करेगी । निरिक्त प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन आयोग करेगा ।
- (ख) **शैक्षणिक अर्हता**- शैक्षणिक अर्हता नियम-5 के अनुसार होगी,
- (ग) **न्यूनतम उम्र सीमा** 21 (इक्कीस) एवं अधिकतम आयु सीमा वहीं रहेगी जो सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय-समय पर नियत की जायेगी ।
- (घ) **परीक्षा का पाठ्यक्रम** - परीक्षा में निम्नलिखित दो ग्रुपों के प्रश्न पूछे जायेंगे- **ग्रुप-“ए”** - सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्न । (कुल 200 अंकों का)
- ग्रुप-“बी”** - गणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य/सांख्यिकी/श्रम एवं समाज कल्याण विषयों में स्नातक स्तरीय प्रश्न । (कुल 200 अंकों का)
8. **नियुक्ति**- आयोग जिन उम्मीदवारों की अनुशंसा करेगी उनकी नियुक्ति हेतु अंतिम चयन सरकार द्वारा ऐसी जाँच, स्वास्थ्य परीक्षा आदि के बाद किया जायेगा जो लोक सेवा में नियुक्ति हेतु किसी उम्मीदवार के सभी प्रकार से उपयुक्त पाये जाने के लिये आवश्यक समझे जायेंगे किन्तु ऐसी नियुक्ति अनिवार्य रूप से आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा क्रम के अनुसार ही की जायेगी ।

### **भाग-4**

#### **सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति**

9. आयोग द्वारा आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर रिक्तियों को विभाग में लिपिक एवं संगणक के पद पर कार्यरत व्यक्तियों में से सफल उम्मीदवारों द्वारा भरा जायेगा ।

10. उम्मीदवारों के लिए पात्रता: - सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों से निम्नलिखित अपेक्षाएँ होगी :-
- (क) (1) वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य/सांख्यिकी विषय से उत्तीर्ण स्नातक हो,  
 (2) वह जिस बैच की परीक्षा हो उसके लिए कट ऑफ तिथि को विभाग के लिपिक /संगणक के पद पर कार्यरत रहते हुए कम से कम दस वर्षों से लगातार सरकारी सेवा में हो,  
 (3) वह जिस बैच की परीक्षा हो उसके लिए अपेक्षित कट ऑफ तिथि (उस वर्ष की 01 वीं अगस्त) को 45 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं हो ।
- (ख) इस सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में तीन से अधिक अवसरों में भाग नहीं ले सकेगा ।
11. संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा निम्नांकित पाठ्यक्रम के अनुसार होगी-
- (1) परीक्षा में कुल दो पत्र होंगे और प्रत्येक 100 अंकों का होगा । प्रत्येक पत्र के लिये परीक्षा तीन घंटे की अवधि की होगी ।  
 (2) प्रथम पत्र में सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान संबंधी प्रश्न पूछे जायेंगे । प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं वैकल्पिक प्रकृति का होगा ।  
 (3) द्वितीय पत्र में निम्नांकित नियमावली / संहिता से प्रश्न पूछे जायेंगे । कोई भी प्रश्न अनिवार्य नहीं होगा-
- (क) बिहार सेवा संहिता, (ख) बिहार पेशन नियमावली, (ग) बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, (घ) सचिवालय अनुदेश या बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, (ङ). बिहार यात्रा भत्ता नियमावली, (च) बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, (छ) बिहार कोषागार संहिता, (ज) बिहार वित्तीय नियमावली, (झ) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005, (ट) राष्ट्रीय नियोजन सेवा नियमावली (ठ) नियोजनालयों (रिवितियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959
12. सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में कोई मौखिक अन्तर्वीक्षा नहीं होगी । उम्मीदवार को सफल होने के पूर्णांक का न्यूनतम 40% (चालीस प्रतिशत) अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के लिए 05% (पाँच) प्रतिशत तक की छूट दी जा सकेगी,  
 परन्तु न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले सफल उम्मीदवारों से किसी वर्ष की सम्पूर्ण रिवितियों को नहीं भरे जा सकने की स्थिति में शेष रिवितियों को अगले वर्ष की रिवितियों में जोड़ दिया जायेगा ।
13. रिवितियों का संसूचन - (1) विभाग सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति हेतु रिवितियों के निर्धारण के पश्चात् प्रत्येक वर्ष 30 (तीस) अपील तक आयोग को रिवितियों अधिसूचित करेगा ।  
 (2) आवेदक अपना आवेदन आयोग द्वारा विहित किये गये पत्र में अपने कार्यालय प्रधान के माध्यम से आयोग के पास भेज देगा ।  
 (3) आयोग परीक्षा हेतु अपेक्षित फीस ले सकेगा ।

